

हजारीबाग में 1 करोड़ इनामी
समेत 3 नक्सली ढेर - खबर पेज 3 पर

शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार



https://epaper.shubhamsandesh.net

रांची, मंगलवार 16 सितंबर 2025 • आदिवन कृष्ण पक्ष 10, संवत् 2082 • रांची एवं पटना से प्रकाशित • वर्ष : 3, अंक : 160 • मूल्य ₹ 4, पृष्ठ संख्या : 12

बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम दलीलों के लिए तय की तारीख, कहा कोई गड़बड़ी निली, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी

एजेंसियां। नवी दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को विधाय तर पर अंतिम दलीलों सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोट ने कहा कि यह मानने हैं कि एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार एसआईआर प्रक्रिया में कानून और अंतिम योग्यताएँ प्राप्त हैं। बिहार एसआईआर को पालन कर रहा है। किसी भी चरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यपाली में कोई अवधारणा निर्वाचन आयोग की ओर से इनकार करते रहते हैं, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। कोट ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती, अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट बोला- देश भर में प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकते

एक अन्य याचिका पर नोटिस

इस बीच शीर्ष अदालत ने 8 सिंबर के उप आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर भर्त में मतदाता सुधी के उपनीतियां जारी किया। जिसमें चुनाव आयोग की बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दरवाजे के रूप में शामिल करने की विरोध दिया गया था। 8 सिंबर को सर्वोच्च न्यायालय से यह क्रिया था कि आधार नामांकिता का प्रमाण नहीं होता और निर्वाचन आयोग मतदाता सुधी में नाम शामिल करने की ओर से प्रस्तुत विषय जान पर इसकी वास्तविकता का पता लगा सकता है।

सुधीयूर्ति सूचकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागवी की पीठ ने ख्याल किया कि वह युवाव आयोग को देश भर में मतदाता सुधी के उपनीतियां के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, पीठ ने बिहार एसआईआर प्रक्रिया के विलाफ याचिकाएँ जो 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय एसआईआर पर भी बहस करने की अनुमति दी।

न्यायूर्ति सूचकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागवी की पीठ ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के विलाफ मामले की सुनवाई करते रहे कि वह भारतीय एसआईआर प्रक्रिया पर भी बहस करने की ओर से एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते चुनाव आयोग ने एसआईआर के संचालन

में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मुद्रे पर कोई भी विस्तृत राय देने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके अंतिम अंतिम फैसले का एसआईआर प्रक्रिया पर अखिल भारतीय प्रभाव पड़ेगा।

कोई लोग अधिकार से वंचित :

जस्टिस सूचकांत ने कहा, जब यह संदेह की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब सारी जानकारी भी बिल्कुल साफ दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जिन लोगों को सुधी जारी किया जा रहा है, वे केवल दसवेंबों की अनुस्थिति के कारण बाहर हो रहे हैं। प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की वारदारियां पर सवाल उठाते हुए, कहा कि आयोग अपनी ही मैत्रियों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को सुधी जारी किया जा रहा है, वे केवल दसवेंबों की अनुस्थिति के कारण बाहर हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर लगी रोक अब कलेक्टर नहीं ले पाएंगे प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय

एजेंसियां। नवी दिल्ली

वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, कोट ने वक्फ कानून के विवरण संपर्कित करते रहे। राजस्व से संबंधित कानून पर सरकार द्वारा रोक लगा दी है, साथ ही वक्फ कानून के 11 सदस्यों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हैं और वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद अद

शहर	अधिकतम	न्यूनतम
रांची	27.0	23.4
डालटनगंज	31.8	22.3
धनबाद	29.1	25.6

तापमान डिग्री सेलिंयस में।

शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार

रांची, झारखण्ड 16 सिंबंद 2025 | आधिवन कृष्ण पक्ष 10, संवत 2082 | रांची एवं पटना से प्रकाशित | वर्ष : 3, अंक : 160 | गूल्य ₹ 4, पृष्ठ संख्या : 12



रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी

झारखण्ड ने नवसलवाद खत्म करने की ओर बढ़ाया बड़ा कदम, हजारीबाग में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी समेत 3 नवसली द्वे

प्रदीप कुमार सिन्हा। हजारीबाग

हजारीबाग जिले में सीआरपीएफ और झारखण्ड पुलिस की संयुक्त दोनों एक बड़ी सफलता हाथ लाई है। सोमवार की सुबह सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक करोड़ रुपये के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन उक्त प्रवेश, 25 लाख इनामी रुपयोग और 10 लाख इनामी नक्सली बीमासन पारे गए। नक्सली अनुज उक्त सहदेव सोरेन मूल रूप से हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मंडेंगी गांव का रहने वाला था। यहां दो दिन में झारखण्ड में नक्सलीयों और गोपनीयों द्वारा की गयी यह दूसरी मुठभेड़ है। रिवायत को प्रतिवेदित माओवादी समूह तुतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) का व्यवस्था उक्त भास्कर कमांडर मुख्देय तूकान उक्त भास्कर कमांडर के पालम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। उस पर पांच लाख रुपये का इनाम था।

बोकारो- निर्दिष्ट से सटा है इलाके। यह मुठभेड़ जिले में बोकारो थाना क्षेत्री के जालीला इलाके में हुई। यह क्षेत्र बोकारो और गिरिधार जिले की सीमा से सटा हुआ है। मुठभेड़ सीआरपीएफ कोक्कर कमांडर मुख्देय तूकान उक्त भास्कर कमांडर के एक व्यवस्था इनामी नक्सली सहदेव सोरेन के दरते के बीच हुई है।

घटनास्थल से तीन एक-47 राइफल भी बरामद : घटनास्थल से तीन एक-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों द्वारा उक्त भास्कर के में तलाशी अभियान चल रहे हैं, जोको ऐसी संभावना है कि मुठभेड़ में कुछ और नक्सली भी घायल हुए होंगे।

तीनों नवसली पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में थे शामिल : डीजीपी



8 माह में मारे गए 3.15 करोड़ के 11 इनामी समेत 28 नवसली

रांची। झारखण्ड में पुलिस और सीआरपीएफ को नवसलवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। 1 जनवरी से 15 सिंबंद 2025 तक, राज्य के लालोहार, चाँगासा, बोकारो, हजारीबाग, पलामू और गुमला जिलों में हुई मुठभेड़ में कुल 28 नक्सली मार गए हैं। 28 में 11 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर कुल 3.15 करोड़ का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सलीयों में दो सेंट्रल कमेटी भैरव प्रधान माझी और सहदेव सोरेन भी शामिल हैं। केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देश से नवसलवाद को खत्म करने के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।



मारे गए नवसलीयों की पहचान इस प्रकार हुई है

- सहदेव सोरेन उक्त प्रवेश : एक करोड़ रुपये का इनामी, सेंट्रल कमेटी सदस्य।
- रुमाल व्हाइट उक्त चंचल : 25 लाख रुपये का इनामी, सैक (रेशल एरिया कमेटी) सदस्य।
- बीरसेन गंडु : 10 लाख रुपये का इनामी, जोनल कमांडर।

बोकारो क्षेत्र से नवसलवाद खत्म, जल्द ही पूरे देश को भी मिलेगी मुक्ति: अमित शाह



केंद्रीय गुहमंत्री अमित शाह ने झारखण्ड के हजारीबाग जिले में नवसल विरोधी अभियान में नक्सली कांगड़र सहदेव सोरेन उक्त प्रवेश समेत तीन नवसलीयों के मार जाने को बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद उत्तरी झारखण्ड के बोकारो क्षेत्र से नवसलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नवसलवाद की समस्या से मुक्त होगा। शाह ने एक सेंट्रल में धूम धूम की ओर जारीबाग और राज्य पुलिस की संयुक्त दीम को नवसल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में 1 करोड़ रुपये का इनामी कूत्यात नक्सली कमांडर सीधीयों सहदेव सोरेन उक्त प्रवेश को ढेर कर दिया गया है। साथ ही, दो अन्य इनामी नवसलीयों - रुमाल व्हाइट उक्त चंचल और बिरसेन गंडु उक्त चंचल के बाद उत्तरी झारखण्ड के बोकारो क्षेत्र से नवसलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नवसलवाद की समस्या से मुक्त होगा।

साल 2025 में मारे गए 11 इनामी समेत 28 नवसलीयों की सूची

15 सिंबंद : हजारीबाग के गोहर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक करोड़ रुपये के इनामी नवसली सहदेव सोरेन, 25 लाख इनामी रुमाल व्हाइट उक्त चंचल और दस लाख इनामी बारसेन गंडु मारा गया। 16 सिंबंद : पलामू के मनात के जंगल में हुए मुठभेड़ में टीपीपी उग्रवादी संगठन के कमांडर 15 लाख का इनामी उग्रवादी संगठन के मार गया। 17 सिंबंद : चाँगासा के गोहर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो में हुए मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हासदा उक्त अवन्टन दर्हा हो गया था। 18 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो में सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 19 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 20 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 21 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 22 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 23 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 24 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 25 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 26 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 27 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 28 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 29 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 30 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 31 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 32 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 33 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 34 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 35 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 36 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 37 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 38 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 39 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 40 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 41 सिंबंद : चाँगासा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली जेजेपी के बोकारो के द्वारा अभियान में बड़ी घायल हुए होंगे। 42 सिंबंद :

